अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

3871(E)
5/6/18

आदेश

पथ प्रमंडल मोतिहारी के क्षेत्राधीन OPRMC Package No-03 के अन्तर्गत मोतिहारी–ढ़ाका–बेलवाघाट पथ का एकरारनामा (एकरारनामा सं0–17MBD/2013-14) कार्यपालक अभियंता, पथ मोतिहारी द्वारा संवेदक मेसर्स ऋषि बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा०लि०, श्रीकृष्णा नगर, मोतिहारी के साथ किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य की राशि 40,40,65,841/– रूपये थी। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 11.12.2013 एवं कार्य समाप्ति की अवधि 60 (साठ) माह थी।

2. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं0–3, पथ निर्माण विभाग द्वारा मोतिहारी–ढ़ाका–बेलवाघाट पथ की जाँच 29.01.2015 को की गई। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं0–3 द्वारा प्रथम जांच प्रतिवेदन पत्रांक–232 (गो0) अनु० दिनांक–18.02.2015 एवं अंतिम जांच प्रतिवेदन पत्रांक–265 अनु0 दिनांक–31.03.2015 द्वारा समर्पित किया गया। प्रारंम्भिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरान्त संवेदक मेसर्स ऋषि बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा०लि० के विरूद्ध निम्न अनियमितता के संबंध में आरोप गठित किया गया :–

(i) पथ के 7वें कि0मी0 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.96 प्रतिशत पायी गयी है, जो प्राक्कलन में प्रावधानित बिटुमेन की औसत मात्रा 5% से कम है।

3. उक्त आरोप के आधार पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 (ख) के आलोक में विभागीय पत्रांक–6787 (E) दिनांक–30.11.2017 द्वारा संवेदक मेसर्स ऋषि बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा०लि० से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. उक्त के आलोक में संवेदक के पत्रांक–7/2018 दिनांक–18.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्य निम्नवत् है :–

4.1 कार्य के सम्पादन के समय गुण नियंत्रण संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किये जाते थे, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

4.2 इस संबंध में कहना है कि कालान्तर में बिटुमिन कॉन्टेन्ट की जाँच करने पर बिटुमिन कॉन्टेन्ट का प्रतिशत कम आता है। इसी क्रम में Department of Scientific and Industrial Reserch के Road Reserch laboratory के Bituminus material in Road

कृ0पृ0उ0

Construction Publication Chapter-20 की कंडिका 20.8 भी अवलोकनीय है, जिसके अनुसार कालान्तर में बिटुमिन कॉन्टेन्ट की जाँच करने पर बिटुमिन कॉन्टेन्ट का प्रतिशत कम आता है।

4.3 इस संबंध में उपरोक्त मैन्युअल के कंडिका–20.7 का अवलोकन करना चाहेंगे जिसमें यह उल्लिखित हे कि बिटुमिन कॉन्टेन्ट को जानने के लिए तीन अवस्था में नमूने लिये जा सकते हैं, जो निम्नवत है :–

(i) मिक्सिंग प्लांट के समय

(ii) बिटुमिनस मिक्स के लेइंग के पहले

(iii) बिटुमिनस मिक्स लेइंग के बाद

4.4 इस संदर्भ में उक्त मैन्युअल के कंडिका 20.21 का अवलोकन करना चाहेंगे जिसमें यह उल्लिखित है कि बिटुमिन कॉन्टेन्ट की मात्रा में विभिन्न कारणों से बदलाव आ सकता है। बिटुमिन कॉन्टेन्ट की जाँच के उपरांत प्रतिवेदित कॉन्टेन्ट में जो कमी है वह प्रावैधिक दृष्टिकोण से विशिष्टि के अनुरूप है।

4.5 इस संबंध में यह भी कहना है कि कृपया पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–340 दिनांक 07.01.2010 द्वारा दिये गये आदेश के कंडिका–3 (i) का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा अपील अभ्यावेदन के निस्तार के क्रम में यह कहा गया है कि "संवेदक द्वारा जो कार्य कराया गया है वह विभागीय Hot Mix Plant के द्वारा कराया गया है, जबकि संवेदक के द्वारा अलकतरा तथा चिप्स की आपूर्ति का दायित्व निर्धारित था। विभागीय अभियंताओं की उपस्थिति में Mix बनवाने का कार्य कराया जाना था। उक्त कार्य के निमित्त Hot Mix Plant से BM Mix गिरने के तुरन्त बाद जाँच नहीं किया गया है। अतः बाद में कराये गये जाँच के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुँचना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

5. समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के 7वे कि०मी० में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.96 प्रतिशत पाई गई है जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत है। यह विभाग द्वारा अनुमोदित माप दण्ड में विचलन के साथ निर्धारित मात्रा 4.19 प्रतिशत से भी कम है। अतः संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

6. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 (क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक–4104 (ई०) दिनांक–28.10.2009 के प्रावधानों क आलोक में मेसर्स ऋषि बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा०लि०, श्रीकृष्णा नगर, मोतिहारी (निबंधन संख्या–अ०प्र०/श्रेणी–1 (एक)–55/2007 पथ) को अगले 2 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

6.1 साथ ही उक्त पथांश के SDBC कार्य में उपयोग किये गये कम अलकतरा की राशि के समतुल्य राशि की वसूली करते हुये राजकोष में जमा करने का निदेश कार्यपलाक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी को दिया जाता है।

5/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्र0) –177/2017 3871(E)**/पटना, दिनांक** 5/6/18

प्रतिलिपि :– संवेदक मेसर्स ऋषि बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा०लि०, श्रीकृष्णा नगर, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्र0) –177/2017– 3871(E)**/पटना, दिनांक** 5/6/18

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्र0) –177/2017– 3871(E)**/पटना, दिनांक** 5/6/18

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०–3 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि संवेदक से राशि की वसूली कर विभाग को सूचित करें।

5/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्र0) –177/2017– 3871(E)**/पटना, दिनांक** 5/6/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

5/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

05/6/18